राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम गणेश नारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2026	06/2026	

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता कैवियटकर्ता/रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित थे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत कर आदेश दिनांक 09/12/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित रहे |

अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विचाराधीन मूल प्रकरण विभाजन का है, जिसमे दोनों पक्ष सहखातेदार होने से बतौर पक्षकार प्रकरण रहे है एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार भी रिकार्डेड खातेदारान को उनकी आराजी के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित्त नही होता है | केवल कानूनन विभाजन से पूर्व पक्षकारान के मध्य नवीन विवाद उत्पन्न नही हो अथवा कृषि भूमि के स्वरूप का मौके पर कोई बदलाव न हो का संज्ञान लिया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पारित किया गया आदेश न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/12/2025 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की हद तक निरस्त किया जाकर शेष आदेश यानि विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने तक यथावत रखा जाता है | साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को न्यायहित में यह निर्देश दिये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये उभयपक्षों की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाइ निषेधाज्ञा का निस्तारण शीघ्रता से करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर